

1 फॉर्म नं. 15H

[अनुभाग 197A(1C) और नियम 29C देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 197ए(1सी) के तहत घोषणा कर कटौती के बिना कुछ आय का दावा करने वाले उस व्यक्ति द्वारा होगी जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक है भाग I

1. निर्धारिती का नाम (घोषणाकर्ता)		2. निर्धारिती की स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) या आधार संख्या ¹		3. जन्म-तिथि ² (DD/MM/YYYY)	
4. पिछला वर्ष (P.Y.) ³ (जिसके लिए घोषणा की जानी है)		5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.		6. परिसर का नाम	
7. सड़क/गली/लेन		8. क्षेत्र/स्थान		9. कस्बा/शहर/जिला	
10. राज्य		11. पिन		12. ईमेल	
13. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.		14 (a) क्या कर के लिए आकलन किया गया है ⁴ :		हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
(b) अगर हां, तो नवीनतम आकलन वर्ष जिसके लिए आकलन किया गया है		15. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है			
16. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 15 में उल्लिखित आय को शामिल किया जाना है ⁵		17. पिछले वर्ष के लिए दायर किए गए इस फॉर्म के अलावा फॉर्म नंबर 15H का विवरण, अगर कोई हो ⁶			
दायर किए गए फॉर्म नं.15H की संख्या		आय की कुल राशि जिसके लिए फॉर्म नं.15H दायर किया गया			
18. आय का विवरण जिसके लिए घोषणा दायर की गई है		क्रम संख्या		आय की राशि	
प्रासंगिक निवेश/खाते आदि की पहचान संख्या ⁷		आय की प्रकृति		वह अनुभाग जिसके तहत कर कटौती योग्य है	

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

1. आईटी (चौदहवां संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित नियम, 2015, 1-10-2015 से प्रभावी। इससे पहले का फॉर्म नं. 15H, आईटी (पांचवां संशोधन) द्वारा संशोधित किया गया था। नियम, 1982, 21-6-1982 से प्रभावी, आईटी (पांचवां संशोधन) नियम, 1989, 1-4-1988 से प्रभावी, IT (चौदहवां संशोधन) नियम, 1990, 20-11-1990 से प्रभावी, आईटी (बारहवां संशोधन) नियम, 1992, 1-6-1992 से प्रभावी, आईटी (सातवां संशोधन) नियम, 1995, 1-7-1995 से प्रभावी, आईटी (बत्तीसवां संशोधन) नियम, 1999, 19-11-1999 से प्रभावी, आईटी (बारहवां संशोधन) नियम, 2002, 21-6-2002 से प्रभावी, आईटी (आठवां संशोधन) नियम, 2003, 9-6-2003 से प्रभावी, आईटी (चौदहवां संशोधन) नियम, 2003, 1-8-2003 से प्रभावी और आईटी (दूसरा संशोधन) नियम, 2013, 19-2-2013 से प्रभावी।

घोषणा/सत्यापन⁸

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 6 के नियम के अनुसार भारत का निवासी हूँ। मैं एतद्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर जो कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आय, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं है। मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि कॉलम 15 में संदर्भित *आय सहित मेरी अनुमानित कुल आय पर कर और कॉलम 17 में संदर्भित *आय की कुल राशि की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है जो आकलन वर्ष से संबंधित को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए शून्य होगा।

स्थान:

तिथि:

.....
घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

भाग II
[भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए]

1. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम		2. अद्वितीय पहचान सं. ⁹	
3. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) या आधार संख्या	4. पूरा पता		5. भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का TAN
6. ईमेल	7. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.	8. भुगतान की गई आय की राशि ¹⁰	
9. वह तिथि जब घोषणा प्राप्त हुई (DD/MM/YYYY)		10. वह तिथि जब आय का भुगतान/क्रेडिट किया गया है (DD/MM/YYYY)	

स्थान:

तिथि:

.....

भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे हटा दें।

1. अनुभाग 206AA(2) के प्रावधानों के अनुसार, अनुभाग 197A(1C) के तहत घोषणा अमान्य होगी अगर घोषणाकर्ता अपनी मान्य स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
2. घोषणा ऐसे निवासी इंडिविजुअल द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है जिसकी आय पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक हो।
3. वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।
4. कृपया "हां" का उल्लेख तब करें जब घोषणा दायर करने के वर्ष से पिछले छह आकलन वर्षों में किसी भी वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर का आकलन किया गया हो।
5. कृपया उस पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए घोषणा दायर की गई है, इसमें आय की वह राशि भी शामिल है जिसके लिए यह घोषणा की गई है।
6. अगर पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को दायर करने से पहले फॉर्म नं. 15H में कोई भी घोषणा दायर की गई है, तो उस आय की कुल राशि के साथ दायर किए गए इस तरह के फॉर्म नंबर 15H की कुल संख्या का उल्लेख करें जिसके लिए उक्त घोषणा दायर की गई है।

7. शेयरों की विशिष्ट संख्या, सावधि जमा की खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाएं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि का उल्लेख करें।
8. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को इस बात से स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी तरह से सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में झूठा कथन देने वाला कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के अनुभाग 277 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा और दोषी पाए जाने पर दंड पाने का अधिकारी होगा—
 - (i) ऐसी स्थिति में जहां कर चोरी पच्चीस लाख रुपये से अधिक है, वहां जुर्माने के साथ कठोर कारावास का दंड होगा और यह कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और इसे सात वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है;
 - (ii) किसी भी अन्य मामले में, जुर्माने के साथ कठोर कारावास जो तीन महीने से कम नहीं होगा और दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
9. भाग I के कॉलम 15 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म नं. 15H को अद्वितीय पहचान संख्या आवंटित करेगा और इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में आयकर नियम, 1962 का 31A(4)(vii) में निर्धारित विवरण के साथ करेगा। अगर व्यक्ति ने उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नं. 15G प्राप्त किया है, तो कृपया फॉर्म नं. 15H और फॉर्म नं. 15G के लिए क्रम संख्या की अलग श्रृंखला आवंटित करें।
10. भाग I के कॉलम 15 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहां अनुभाग 197A(1C) में संदर्भित प्रकृति वाली आय की राशि या शामिल की जाने वाली इस तरह की आय वाले पिछले वर्ष के दौरान क्रेडिट या भुगतान की गई या क्रेडिट की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली इस तरह की आय की कुल राशि उस अधिकतम राशि से अधिक है जो अध्याय VI-A के तहत कटौती, अगर कोई है, या के लिए अनुमति देने के बाद कर के लिए प्रभार्य नहीं है, यदि कोई हो, या घोषणाकर्ता की पात्रता वाली "गृह संपत्ति से आय" के तहत हानि के समायोजन, अगर कोई हो, की अनुमति देने के बाद कर के लिए प्रभार्य नहीं है। पात्रता का निर्णय करने के लिए, उसे कॉलम 15 और 17 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई आय या आय की कुल राशि, जैसी भी स्थिति हो, को सत्यापित करना होगा।

¹[बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उस मामले में घोषणा को स्वीकार करेगा जहां अनुभाग 87A के तहत आयकर की छूट के लिए योग्य निर्धारिती की आय उस आय से अधिक है जिसके लिए घोषणा इस नोट के अनुसार स्वीकार की जा सकती है, लेकिन उसकी कर देयता उक्त अनुभाग 87A के तहत उसके लिए उपलब्ध छूट को ध्यान में रखने के बाद शून्य होगी।]